न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/136/2017	28–08–2017	29–08–2019

01– सरकार जरिये श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी कठूमर जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

01– जीएसएस टिटपुरी, तहसील कठूमर जिला अलवर।

02– श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र स्व0 बाबूलाल शर्मा निवासी ग्राम टिटपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 के तहत 139 कट्टे गेहूं को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः–

01– श्योराम सिंह नरूका – वकील अप्रार्थी

–:निर्णयः–

प्रकरण प्रवर्तन अधिकारी कठूमर द्वारा पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 26.07.2017 को ग्राम सेवा सहकारी समिति टिटपुरी जांच की गयी। जीएसएस के व्यवस्थापक मोहन लाल के स्थान पर सहायक व्यवस्थापक श्री सतीश शर्मा उपस्थित मिलें। वक्त जांच सूची का प्रदर्शन नहीं पाया गया। सहायक व्यवस्थापक द्वारा प्राधिकार पत्र, दुकान/गौदाम का नक्शा, केरोसि, गेहूं, चीनी के बिल व अन्य किसी प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। दिनांक 25.07.2017 को श्री संसदीय सचिव ओमप्रकाश हुडला द्वारा जीएसएस टिटपुरी की जांच की गयी। मौके पर वक्त जांच पौस मशीन में केरोसिन 59 लीटर, गेहूं 09 किग्रा तथा चीनी 14.9 किग्रा दर्ज पायी गयी। जीएसएस टिटपुरी की जांच करने पर गौदाम में 658 लीटर केरोसिन, 14.9 किग्रा चीनी एवं गेहूं की मात्रा शुन्य पायी गयी। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से पूछताछ की गयी। वितरण में हुई अनियमितता का संदेह होने पर माननीय संसदीय सचिव द्वारा जीएसएस के व्यवस्थापक श्री मोहन लाल शर्मा के आवास की जांच करायी गयी। जिसमें 139 कट्टे (प्रति 50 किग्रा) गेहूं जो एफसीआई मार्का एवं मशीन से सीले हुए थे, रखे पाये गये। संसदीय सचिव महोदय द्वारा उक्त गेहूं की जांच होने पर उसे खुर्द–बुर्द न करने तथा छेड़छाड ने करने के लिए व्यवस्थापक जीएसएस टिटपुरी को मौखिक निर्देश दिये गये। जांच के दौरान चीनी व केरोसिन की मात्रा यथावत पायी गयी। लेकिन गेहूं जो श्री मोहन लाल के आवास पर पाया गया, 139 कट्टे के स्थान पर 122 कट्टे पाये गये तथा मशीन से सीले हुए न होकर हाथ से बंधे हुए पाये गये। जो कि व्यवस्थापक मोहन लाल द्वारा माननीय संसदीय सचिव के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन करने की पुष्टि करता है। जीएसएस टिटपुरी को विभाग द्वारा आवंटित राशन सामग्री तथा ऑनलाइन पौस मशीन द्वारा वितरित राशन सामग्री के विश्लेषण में पाया गया कि जीएसएस टिटपुरी द्वारा माह सितम्बर, 2016 से जुलाई, 2017 तक 998.64 क्वि. गेहूं, 19.50 क्वि. चीनी, 12900 ली. केरोसिन प्राप्त किया।–

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

जबकि उक्त अवधि में जीएसएस टिटपुरी द्वारा 998.55 क्वि. गेहूं, 13.09 क्वि. चीनी एवं 9260 ली. केरोसिन का वितरण किया है। इस प्रकार समिति के गौदाम में केरोसिन 2982 ली. तथा चीनी 6 क्वि. 26 किग्रा तथा 100 ग्राम कम पायी गयी। जीएसएस टिटपुरी द्वारा मशीन से सीले हुए एफसीआई का मार्का गेहूं के कट्टे का भण्डार अधिकृत गौदाम से अन्य स्थान पर करने के कारण 122 कट्टो में भरा शुद्ध वजन 67 क्वि. 25 किग्रा 700 ग्राम, 3 लोहे के ड्रमो में भरा 658 ली. केरोसिन मय ड्रम तथा 14.09 किग्रा चीनी को जब्त सरकार किया गया। गेहूं के उक्त कट्टो से छेडछाड नहीं करने के मौखिक निर्देशों के बावजूद 17 कट्टो का कम मिलना व मशीन की सिलाई खोलकर हाथ से बांधना, भौतिक सत्यापन पर 2982 ली. केरोसिन व 626.1 किग्रा चीनी का कम पाया जाना राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थं आदेश 1976 के प्रावधानों की शर्त सं. 1,5,8 व 11 का स्पष्ट उल्लंघन किया है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अतः प्रा0पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त 122 कट्टे गेहूं, 658 ली. केरोसिन तथा 14.9 किग्रा चीनी को राजसात करने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी सं. 1 ने जबाव प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 26.07.2017 को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जीएसएस टिटपुरी की जांच सही प्रकार से नहीं की गई। वक्त निरीक्षण जीएसएस खुली थी। व्यवस्थापक मोहन लाल उपस्थित नहीं थे। जिनकी अनुपस्थिति में जांच की गयी। दिनांक 26.07.2017 को उचित मूल्य की दुकान पर सूची का प्रदर्शन किया हुआ था। सहायक व्यवस्थापक दुकान पर उपस्थित थें। जिनके पास रिकॉर्ड नहीं था। जिस कारण जांच दल को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा सके। दिनांक 25.07.2017 को माननीय संसदीय सचिव महोदय द्वारा जांच की गयी थी। मौके पर पौस मशीन में बैलेंस 59 ली. केरोसिन, 9 किग्रा गेहूं एवं 14.9 किग्रा चीनी दर्ज पायी गयी। जीएसएस की जांच करने पर 658 ली. केरोसिन, 14.9 किग्रा चीनी एवं 9 किग्रा गेहूं था। मौके पर किसी प्रकार की अनियमितता नहीं मिलने पर प्रार्थी के ऊपर केस बनाने की नियत से प्रार्थी के निवास पर जांच कराई गई। जिस जांच में 122 कट्टे गेहूं जो सुतली से बंधे हुए थे। जो प्रार्थी की कृषि भूमि से पैदा किये गये थे। यह आरोप गलत लगाया गया है कि उक्त गेहूं को खुर्द–बुर्द नहीं करने व छेडछाड़ नहीं करने के व्यवस्थापक जीएसएस को मौखिक निर्देश दिये गये। जबकि सही तथ्य यह है कि मौके पर व्यवस्थापक मौजूद ही नहीं था। जांच के दौरान चीनी व केरोसिन की मात्रा सही पायी गयी थी। जीएसएस व्यवस्थापक द्वारा माननीय संसदीय सचिव के किसी भी निर्देश का उल्लंघन नहीं किया गया। जीएसएस को विभाग द्वारा आवंटित राशन सामग्री गेहूं का स्टॉक दिनांक 26. 07.2017 को पूरा था। चीनी का स्टॉक पूरा तथा केरोसिन का स्टॉक भी पूरा था। जानबूझकर प्रकरण बनाने की नियत से 2982 ली. केरोसिन, 6 क्वि. 26 किग्रा 100 ग्राम चीनी कम पाये जाने का आरोप लगाया गया। यहां यह निवेदन करना आवश्यक है कि प्रार्थी द्वारा स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर अलवर को दिनांक 22.08.2017 को प्रा0पत्र पेश किया गया था। जिस पर जिला कलक्टर अलवर द्वारा प्रार्थी की निर्धारित सत्यापित नक्शे वाली दुकान व गौदाम की मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करने व सामग्री का स्टॉक जांच करने के लिए जिला रसद अधिकारी अलवर को आदेश दिये थे। जिन आदेशों के बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 03.01.2018 को प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जिला रसद अधिकारी अलवर के यहां पेश की गयी। जिसमें जीएसएस के स्टॉक में 6 क्वि. 25 किग्रा 400 ग्राम चीनी एवं 14 ड्रमो में कुल 2908 ली. केरोसिन –

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

P.T.O.

मौजूद मिला व पूर्व जांच दिनांक 26.07.2017 को 658 ली. केरोसिन जब्त किया गया था। मशीन से सिले हुए एफसीआई मार्का गेहूं के कट्टो का भण्डार जीएसएस के गौदाम से दुसरे स्थान पर करने के कारण 122 कट्टो में भरा हुआ गेहूं का वजन 67 क्वि. 25 किग्रा 700 ग्राम, 3 लोहे के ड्रमो में 658 ली. केरोसिन व 14.9 किग्रा चीनी गलत रूप से जब्त सरकार की गई है। गेंहू के कट्टो से छेडछाड नहीं करने के मौखिक निर्देशों के बावजूद 17 कट्टो का कम मिलना, मशीन की सिलाई खोलकर हाथ से बांधना, भौतिक सत्यापन पर 2982 ली. केरोसिन व 624.1 किग्रा चीनी कम पाये जाने के आरोप गलत लगाये गये है। 658 ली. केरोसिन व 14.9 किग्रा चीनी जो राजसात की गई है उसकी कीमत जीएसएस द्वारा अदा की गई है। जो चीनी व केरोसिन जीएसएस को दिलवायी जावें। यदि दौराने विचारण चीनी व केरोसिन विक्रय कर दिया गया है तो उसकी कीमत राशि मय ब्याज जीएसएस को दिलाया जावें। जो गेंहू जब्त किया गया है वह मोहन लाल के घर से जब्त किया गया है। जिला रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों को किसी के घर में जाकर उसकी कृषि भूमि में पैदा हुए गेहूं को जब्त करने का अधिकार नहीं है। जब माननीय संसदीय सचिव महोदय दि. 25.07.2017 को जांच करने जीएसएस गये थे तो उसी दिन गेहूं को जब्त क्यों नहीं किया गया। एफसीआई के कट्टे में गेहूं 50 किग्रा भरती का आता है एवं कट्टे मशीन से सिले हुए रहते है। मोहनलाल से जब्त किये गये 122 कट्टो का कुल वजन 67 क्वि. 25 किग्रा 700 ग्रम है जो प्रत्येक कट्टे का औसत वजन 55 किग्रा बैठता है। जिससे स्पष्ट है कि मोहन लाल के घर से जब्त किया गया गेहूं उसकी कृषि भूमि में पैदा हुआ था। जीएसएस का नहीं था। अतः कार्यवाही ड्रॉप फरमाते हुए जब्तशुदा केरोसिन व चीनी को जीएसएस टिटपुरी को व जब्तशुरा गेहूं को मोहन लाल शर्मा को दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावें।

वकील अप्रार्थी सं. 2 ने जबाव प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 26.07.2017 को प्रार्थी के आवास पर रखे हुए कृषि भूमि से पैदा गेहूं 122 कट्टे जो हाथ से बंधे हुए थे जिनका कुल वजन 67 क्वि. 25 किग्रा 700 ग्राम था। राशन सामग्री का गेहूं मानते हुए गलत रूप से जब्त किया गया है। यदि वे राशन सामग्री के गेहूं होते तो जीएसएस की दुकान/गौदाम से जब्त किये जाते। प्रार्थी को नाजायज नुकसान पहुंचाने की नियत से प्रार्थी के अनुपस्थिति में बालाबाला जब्ती की कार्यवाही की गई है। प्रार्थी के नाम से करीब 13 बीघा कृषि भूमि है। प्रार्थी की माता के नाम भी करीब 13 बीघा तथा प्रार्थी की पत्नी के नाम से भी करीब 7 बीघा कृषि भूमि ग्रम टिटपुरी में स्थित है। प्रार्थी करीब 33 बीघा कृषि भूमि में काश्त करता हैं तथा मौसम के अनुसार फसले प्राप्त करता है। साल 2017 में प्रार्थी द्वारा 9 बीघा कृषि भूमि में गेहूं की पैदावार की गयी थी। प्रार्थी के आवास से जब्त किये गये 122 कट्टे गेहूं स्वंय की कृषि भूमि में पैदा हुए गेहूं है। जिन्हे प्रार्थी को वापस दिलाया जावें। उचित मूल्य की सामग्री के गेहूं के कट्टो में 50 किग्रा भरती आता है व कट्टे मशीन से सिले होते है। जबकि प्रार्थी के निवास से जब्त किये गये 122 कट्टो का कुल वजन 67 क्वि. 25 किग्रा 700 ग्रम है जो प्रत्येक कट्टे का औसत वजन 55 किग्रा बैठता है। जिससे स्पष्ट साबित होता है कि जब्त किये गये गेहूं प्रार्थी के स्वंय के है। अतः जब्तशुदा गेहूं के प्रार्थी को सुपुर्दगी पर प्रदान किया जावें एवं दौराने प्रकरण उक्त गेहूं का विक्रय करा दिया गया है तो गेहूं की बजार भाव कीमत प्रार्थी को— दिलवायी जावें।

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दि. 25.07.2017 को माननीय संसदीय सचिव ओमप्रकाश हुडला द्वारा जीएसएस टिटपुरी तहसील कठूमर की जांच करना बताया गया है। लेकिन पत्रावली पर जांच के संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जीएसएस व्यवस्थापक श्री मोहन लाल शर्मा के आवास की तलाशी बाबत श्री शर्मा को कोई नोटिस नहीं दिया गया। यदि माननीय संसदीय सचिव महोदय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिये गये थे, तो दि. 25.07.2017 को ही कार्यवाही अमल में क्यों नहीं लाई गयी। थानाधिकारी, थाना कठूमर की अंतिम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि जब्त गेहूं के कट्टो में नीम की पत्तियां रखी हुई थी, जो ग्रामीण अनाज में कीड़े नहीं लगने की वजह से रखते है। नकल जमाबंदी व खसरा गिरदावरी से भी स्पष्ट है कि व्यवस्थापक श्री मोहन लाल शर्मा के पास करीब 40 बीघा जमीन है। जिसमें से करीब 10–12 बीघा जमीन में गेहूं की फसल होना अंकित है। वक्त जांच माननीय संसदीय सचिव महोदय 139 कट्टे गेहूं होना बताया गया है, जबकि दि0 26.07.2017 को 122 कट्टे गेहूं बताया गया है। 17 खुर्द–बुर्द होना बताया गया है। लेकिन जांच दि. 25.07.2017 का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि दि. 25.07.2017 को 139 कट्टे गेहूं पाये गये है। जीएसएस गौदाम में 9 किग्रा गेहूं व 14.900 ग्राम चीनी जो शेष रही, उसे सुपुर्दगी पर नहीं दिया गया। जब्तशुदा गेहूं के 122 कट्टे गेहूं का वजन 67 क्वि. 25 किग्रा 700 ग्राम बताया गया है। जो प्रत्येक कट्टै का औसत लगभग 55 किग्रा होता है, जबकि एफसीआई के गेहूं के 122 कट्टो में वजन प्रत्येक कट्टा 50 किग्रा से लगभग 61 क्वि. ही होना चाहिए था। स्पष्ट है कि जब्त किया गया गेहूं व्यवस्थापक श्री मोहन लाल शर्मा के स्वंय की खेती के पैदावार थे, ना की जीएसएस टिटपुरी के थे। अतः जिला रसद अधिकारी अलवर को आदेश दिये जाते है कि जीएसएस टिटपुरी से जब्त 658 केरोसिन व 14.9 किग्रा चीनी को जीएसएस को सुपुर्द किया जावें तथा श्री मोहन लाल शर्मा व्यवस्थापक जीएसएस टिटपुरी के आवास से जब्त किया गया 122 कट्टे का कुल वजन 67 क्वि. 25 किग्रा 700 ग्राम गेहूं श्री मोहन लाल शर्मा व्यवस्थापक जीएसएस टिटपुरी को सुपुर्द कर दिया जावें।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/08/19

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर